


कार्यालय नगर परिषद, सिवान

आदेश

शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक- 1563 दिनांक- 22.11.2019 के द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन हेतु औपबधिक मेघा सूची का प्रकाशन किया गया है। प्रकाशन के उपरांत दिनांक- 24.01.2020 तक आपत्ति लेने का निर्णय लिया गया था। इसे पुनः विस्तारित करते हुए दिनांक 5.2.2020 तक अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति लिया जाएगा। उक्त निर्धारित तिथि के बाद अभ्यर्थियों का दावा मान्य नहीं होगा। औपबधिक मेघा सूची में कोई भी त्रुटि होने पर अभ्यर्थी स्वयं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सभी मूल प्रमाण पत्र और सभी प्रवेश पत्र (Admit Card) के साथ उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रमाण पत्रों में त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थियों पर सुसंगत धाराओं के तहत अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा।

इसे अतिआवश्यक समझे।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सिवान।